# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | रामकरण बनाम मैसर्स गेटवे<br>128/2024<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई \| अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित \| अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \| अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है \| पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/04/2026 को पेश हो \|<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 23/04/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/05/2023 पारित करते हुये ग्राम धानक्या, पटवार क्षेत्र धानक्या, भू.अ.नि. क्षेत्र मुण्डियासर तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर में खसरा नम्बर 387 रकबा 0.9738 हैक्टेयर के कुर्रेजात प्रस्ताव, वर्तमान राजस्व रिकार्ड के राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये व उभयपक्षों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स व कब्जे के आधार पर तहसीलदार को कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये \| जिसकी पालना में कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26/05/2023 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया \| जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है \| जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \|<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया \| उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट में सभी सहखातेदारान का अलग-अलग खाता व लगान प्रस्तावित किये बिना केवल मात्र मैसर्स गेटवे डिस्ट्रीपार्कन लि. के अलग खाता प्रस्तावित कर शेष सहखातेदारान से शामलाती रखते हुये विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है \| कानूनन जिस खाते के सम्बन्ध में विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है उसके समस्त सहखातेदारान का अलग से खाता व लगान कायम करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना एवं उसके पश्चात<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**रामकरण बनाम मैसर्स गेटवे**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 128/2024 | |

अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से सभी सहखातेदारान का अलग-अलग खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक प्रावधान की अनदेखी कर त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसेमें विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत आराजी के सभी सहखातेदारान का अलग-अलग खाता लगान कायम करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/05/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में सभी सहखातेदारान/पक्षकारान का अलग-अलग खाता व लगान प्रस्तावित करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात प्रस्ताव पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर